राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(8)नविवि/3/2020 जयपुर, दिनांकः 22 FEB 2022

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2808/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2019 के द्वारा राज्य के विभिन्न जेलों में पेट्रोल पम्प स्थापित कर इनसे अर्जित होने वाली आय से बंदी कल्याण एवं जेल में सुधार हेतु उपयोग में किए जाने के लिए आदेशों की पालना में मास्टर प्लान में बिना भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही संपादित करते हुए निम्नलिखित शर्तो की पालना सक्षम स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त जेल परिसर में पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय किया जाता हैः–

1. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) द्वारा प्रदत्त निर्देशों के दृष्टिगत विभागीय आदेश दिनांक 07.06.2021 के अनुसार नये पेट्रोल पम्प (फिल पाइन्ट/डिस्पेन्सिंग यूनिट/वेन्ट पाईप जो भी नजदीक हो) हेतु आवासीय/स्कूल/हॉस्पिटल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी आवश्यक हैं। यदि 50 मीटर की दूरी रखा जाना संभव नहीं है तो (PESO) द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे। किन्तु किसी भी दशा में स्कूल, हॉस्पिटल (10 बेड एवं अधिक) और आवासीय क्षेत्र से नए उक्तानुसार पेट्रोल पम्प की न्यूनतम दूरी 30 मीटर से कम नहीं हो। पेट्रोल पम्प भूखण्ड के ऊपर से हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही हो।
2. समस्त शहरों हेतु विनियम–2020 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ तकनीकी/सुरक्षात्मक दूरी के संबंध में निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम